सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 365 राँची, बुधवार, 4 ज्येष्ठ, 1938 (श०)
25 मई, 2016 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(योजना प्रभाग)

संकल्प

24 मई, 2016

विषय : राज्य में "Innovative Jharkhand" योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मार्गनिदेश।

पृष्ठभूमि

राज्य में अभिनव एवं नए प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "Innovative Jharkhand" नामक योजना प्रारंभ की आवश्यकता महसूस की गई ताकि आमजनों से आनेवाले नए-नए विचार जो राज्यहित में लाभदायक हो, उसे बढ़ावा दिया जाएगा।

2. उद्देश्य

उत्पादन एवं सेवा प्रदाय के प्रत्येक क्षेत्र में Overall Innovation Eco-system का निर्माण एवं प्रसार।

3. अवयव

इस योजना के मुख्यतः दो अवयव होंगे-

(क) मुख्यमंत्री अभिनव पुरस्कार योजना, तथा

(ख) मुख्यमंत्री अभिनव पायलट योजना

मुख्यमंत्री अभिनव पुरस्कार योजना-इसके तहत राज्य सरकार को उत्पादकता एवं सेवा प्रदाय में नवप्रवर्तक सुझाव दिए जाने के लिए उन सुझावों के विरूद्ध प्रोत्साहन पुरस्कार एवं प्रशस्ति दी जाएगी, जिसे विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति राज्य के लिए अंगीकृत करने योग्य समझती हो। ऐसे सुझाव के लिए निम्न प्रकार के सुझाव कर्त्ताओं पर विचार किया जा सकेगा ।

(क) राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय ।

(ख) राज्य के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालय ।

(ग) देश में कार्यरत किसी भी गैर सरकारी संस्थान/ट्रस्ट/स्वयं सेवी सहायता समूह ।

(घ) राज्य की आम जनता ।

(ड़) योजना-सह-वित्त विभाग के मेरा बजट पोर्टल पर अथवा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनेवाले जिलास्तरीय/प्रमण्डल स्तरीय/राज्य स्तरीय संगोष्ठियों के दौरान आम जनता के द्वारा दिए जानेवाले सुझाव ।

(च) राज्य में कार्यरत केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारी/ कर्मचारी ।

4. चयन प्रक्रिया

(क) उपरोक्त वर्णित श्रेणी के सुझाव कर्त्ता योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा संचालित My Budget Portal पर ये सुझाव व्यक्त कर सकते हैं। इसपर आए सुझाव की योग्यता के आधार पर इसे राज्य योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष विचारार्थ रखी जाएगी तथा राज्य योजना प्राधिकृत समिति सुझाव की उपयुक्तता के अनुसार आकलन करते हुए यह निर्णय देगी कि प्रासंगिक सुझाव राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत करने योग्य हैं। विकास आयुक्त राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठकों में योजना विशेष से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को प्रस्तावों के चयन के संबंध में विचारार्थ राज्य योजना प्राधिकृत समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित एवं आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसे सुझावों पर माननीय मुख्य (योजना-सह-वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त परिलब्धियों की विमुक्ति हेतु स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा निर्गत किया जा सकेगा ।

(ख) ऐसे सभी पुरस्कार जिन्हें राज्य सरकार ने अपने बजट में अंगीकृत कर लिया हो, के लिए पुरस्कार की राशि 21,000/- रुपये प्रति सुझाव कर्त्ता होगी। वैसे सुझाव जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया जा सका है, परन्तु संबंधित प्रशासी विभाग के द्वारा व्यावहारिक रूप से कार्यान्वयन योग्य हों, के लिए पुरस्कार की राशि 10,000/- रुपये प्रति सुझाव कर्त्ता की दर से स्वीकृत की जा सकेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 पुरस्कार स्वीकृत किए जा सकेंगे। अर्थात् इस प्रस्ताव पर वर्ष भर में अधिकतम 21.00 लाख रुपये का व्यय होगा ।

मुख्यमंत्री अभिनव पायलट योजना

<u>नवप्रवर्तक योजनाएँ</u>

राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय एवं जिलों के उपायुक्त के द्वारा नवप्रवर्तक प्रकृति की योजनाओं का प्रस्ताव सीधे प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग को प्रेषित किया जाएगा ।

उक्त प्रस्तावों की विभाग द्वारा विवेचना किए जाने के उपरान्त योग्य पाए जाने पर इसे राज्य योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष रखा जाएगा। राज्य योजना प्राधिकृत समिति के द्वारा अनुशंसित होने पर ऐसी योजनाओं पर माननीय मुख्य (योजना-सह-वित्त) मंत्री का अनुमोदन अपेक्षित होगा। तदोपरान्त इन योजनाओं के कार्यान्वयन

हेतु स्वीकृत्यादेश योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा एवं राशि की विमुक्ति संबंधित उपायुक्त/प्रस्तावक संस्थान को किया जा सकेगा ।

ऐसी योजनाएँ प्रायोगिक तौर पर मात्र एक साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा संचालित की जाएगी एवं उपयोगी पाए जाने के पश्चात् ही इसे आगे के सालों में संचालन हेतु संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाएगी ।

ऐसी परियोजना की अधिकतम लागत प्रति परियोजना 2.00 करोड़ रुपये अथवा उससे कम की होगी। वर्ष भर में प्रत्येक जिले के लिए अधिकतम एक योजना अर्थात् अधिकतम 48.00 करोड़ रुपये तक की योजना ली जा सकेगी। इस तरह दोनों अव्यवों को जोड़ने पर इस योजना पर कुल 48.21 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है ।

5. निधि प्रवाह

चयनित लाभार्थियां की परिलब्धियाँ राज्य स्तर पर योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा के संबंधित उपायुक्त के माध्यम से माध्यम से सीधे लाभुकों को प्रदान की जा सकेगी । इस हेतु योजना-सह-वित्त विभाग संबंधित उपायुक्तों को समुचित राशि विमुक्त करेगी ।

चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये तक की राशि व्यय की जा सकेगी तथा इस शीर्ष की अवशेष 9.00 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग इस शीर्ष के अन्य घटकों पर योजना-सह-वित्त विभाग व्यय कर सकेगी ।

6. उक्त मार्गनिदेश पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 09 मई, 2016 को सम्पन्न हुई बैठक में मद सं0-18 के तहत स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,
अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 365—50 ।